कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष 0771 – 2552233 ई मेल apccf-lm.cg@gov.in

क्र. / प्र.मु.व.सं./भू-प्र./ 479-135 / [illegible] रायपुर, दिनांक [illegible]

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कोरबा / रायगढ़ वन मंडल
छत्तीसगढ़

विषय – **Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for construction of 765 KV D/C (Xexa) Jharsuguda - Dharamjaygarh Transmission Line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.**
पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 8080 / 2014

संदर्भः 1 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-III/CH-09/2016-NGP/ 919 दिनांक 03.10.2016

2 मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक / 2492 दिनांक 31.12.2016

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से 765 के.व्ही विद्युत पारेषण लाइन निर्माण हेतु रकबा 153.448 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

नोडल कार्यालय द्वारा वेब साई पोर्टल के परीक्षण उपरांत उक्त प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पाइ गई है:–

1. रायगढ़ वन मंडल के कक्ष 933 के प्रस्तावित क्षेत्र मे अतिक्रमण दिख रहा है तथा स्थल मे रा.मार्ग जाता दिख रहा है।
2. कोरबा वन मंडल के कक्ष 1443 मे घना patch दिख रहा है तथा रोपण हेतु 23.00 हे. क्षेत्र उपलब्ध होना संभव नहीं प्रतीत होता है।
3. कोरबा वन मंडल के कक्ष 1465 में घना वन दिखता है अधिकतम 40 प्रतिशत क्षेत्र ही रोपण हेतु उपलब्ध हो पाना प्रतीत होता है।
4. कोरबा वन मंडल के कक्ष 1449 में भी काफी घना patch है अधिकतम 30 प्रतिशत क्षेत्र ही रोपण हेतु उपलब्ध हो पाना प्रतीत होता है।
5. कोरबा वन मंडल के कक्ष 1140 मे भी काफी घना patch है। लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र ही रोपण हेतु उपलब्ध हो पाना प्रतीत होता है।

उपरोक्त बिन्दुओं में दर्शित कक्षों का स्वयं निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन सहित कमियों की पूर्ति कर प्रेषित करें। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन स्थल अनुरूप न होने पर भी त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

(वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स.(भू – प्रबंध / व.स.अ.)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–135/ 164 रायपुर, दिनांक 17/01/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **महा प्रबंधक**, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्राम एवं पोस्ट [illegible], नन्देली मार्ग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

वर्तमान मे किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

(वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स.(भू – प्रबंध / व.स.अ.)
छत्तीसगढ़